न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा [illegible] मु.नं. 235 वर्ष 2025

दिनांक	आदेश - पत्र
27/10/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील अप्रार्थी (भंवरलाल पुत्र चुन्नाराम) उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली आदि का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट–04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6 / 2021 / पार्ट / 91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज–6 / 2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1286 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम गुनाठू पटवार हल्का गुनाठू तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 474, 488 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित / प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू अभिलेख निरीक्षक वृत शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम गुनाठू पटवार हल्का गुनाठू तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 474, 488 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।

सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट–04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6 / 2021 / पार्ट / 91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज–6 / 2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव के संबंध में खसरा सं. 474 के खातेदार अप्रार्थी (भंवरलाल पुत्र चुन्नाराम) की ओर से आवेदन बाबत मौका आपत्ति दिनांक [illegible] 2025 में उल्लेखित संक्षिप्ततः तथ्यों के अनुसार "उनवानी प्रकरण [illegible] एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अधीनस्थ तहसीलदार को धारा 251 आर.टी.एक्ट के [illegible] मौका देखकर 251 आर.टी.एक्ट का निस्तारण किया [illegible] जिसकी क्रियान्विति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा भू. रा. अ. धा. 131, 132 अन्तर्गत मु.नं. 235 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	मानीय अति. जिला कलक्टर महोदय, शीकर ने कर दी है, प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 474 की दक्षिणी सींव पर पुख्ता आवासीय एवं कृषि प्रयोजनार्थ पुख्ता मकान बना रखे है, उक्त मकानों में से रास्ता प्रचलित होना तहसीलदार ने गलत रूप से बताया है, जबकि परमेश्वरी देवी का रास्ता प्रार्थी के मकानों से पूर्वी ओर बीचों–बीच सीजनल रास्ता है, इसकी रिपोर्ट मंगवाने हेतु मानतीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन उक्त सीजनल रास्ता के मामले में कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। उक्त तहसीलदार, धोद जिनके द्वारा ही 251 की कार्यवाही की है, जो गलत है तथा राजनेतिक द्वेषता से ग्रसित है। इसलिए पुनः रिपोर्ट तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से मंगवाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि खसरा सं. 474 के सम्बन्ध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से रिपोर्ट मंगवाये जाने की आज्ञा फरमावें।" उक्त आपत्ति आवेदन तथा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव व नवीनतम रिपोर्ट आदि का भी गहनता से अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के संबंध में भूमिधारी, तहसीदार धोद के द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तें के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट्स अनुकूल प्रतीत होती है। क्योंकि वकील अप्रार्थी (भंवरलाल) ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाकर अपनी आपत्ति पेश की है, उन सभी से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु दिया जाना उचित है। साथ ही आपत्तिकर्ता भंवरलाल की ओर से अपने तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है, जिनसे उनके तथ्यों/आपत्ति का पक्ष मजबूत हों। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वकील अप्रार्थी (भंवरलाल) की आपत्ति आवेदन को अस्वीकार किया जाकर हस्तगत रास्ता प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील अप्रार्थी (भंवरलाल) की आपत्ति आवेदन दिनांकित 14.10.2025 को अस्वीकार किया जाता है तथा राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 ... के ... तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1286 ... .2025 के द्वारा राजस्व ग्राम गु... सीकर के खसरा ... 474, 488 में से प्र... रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित ... के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम अंगरलाल

किस्म मुकदमा धा.चक व डा. 131,132 L.R.Act मु.नं. 235 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. /2025/1286 दिनांक 09.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।
	आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner